उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-73/259/एक-1-2016-5(11)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 13 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित लोक प्रयोजन की भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहण करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	औरगांबाद गदाना	504मि	0.0225	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए गाजियबाद विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
				योग	**कुल 01 गाटा**	**0.0225 हे0**	

2. इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा की जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 60 मीटर चौड़ीकरण मास्टर प्लान रोड हेतु लोक प्रयोजन की भूमि खाद

shasnadesh.up.nic.in

-2-

के गढडे की भूमि का अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन श्रेणी परिवर्तन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार श्रेणी परिवर्तन शुल्क कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में प्राधिकरण द्वारा जमा करायी जायेगी।

3. कलेक्टर, मेरठ शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार लोक प्रयोजन की भूमि के श्रेणी परिवर्तन उपरान्त पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-259(1)/एक-1-2016-5(11)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को उनके पत्र संख्या-1302/सात-डीएलआरसी-कल0-गा0बाद/16-पुनर्ग्रहण, दिनॉक 26.02.2016 के सन्दर्भ में।
5. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

shasnadesh.up.nic.in

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in